

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1650
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती

1650. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जैविक खेती करने के लिए किसानों को राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रदान की गई राजसहायता का विशेष रूप से नेल्लोर जिले का वर्ष और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की गई बाजार सहायता का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में जैविक खेती के संबंध में किसानों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब तक जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) पूर्वोक्त राज्यों को छोड़कर आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से वर्ष 2015-16 से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं जैविक खेती करने वाले किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और मार्केटिंग तक एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करने पर जोर देती हैं। योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर स्थापित करना है। दोनों योजनाएं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

पीकेवीवाई योजना के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 03 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता ऑन-फार्म/ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 4,500 रुपये

प्रति हेक्टेयर की, प्रमाणन के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता आदि हेतु 03 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के अंतर्गत किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रति हेक्टेयर 32,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 15,000 रुपये की सहायता शामिल है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रमाणन गतिविधियों के लिए 03 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मूल्य श्रृंखला मार्केटिंग के लिए 03 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों को दी जाने वाली सब्सिडी से संबंधित जिला-वार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थित नहीं किए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश को पीकेवीवाई के अंतर्गत जारी किए गए फंड का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी फंड (लाख रुपये में)
2020-21	10004.83
2021-22	0.00
2022-23	0.00
2023-24	970.00
2024-25	2800.00
2025-26	2946.00
कुल	16720.83

(घ) आंध्र प्रदेश में पीकेवीवाई योजना के तहत, वर्ष 2024-25 तक 8,564 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी)/किसानों को गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 11,29,931 किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसके अलावा, सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस)-इंडिया ऑर्गेनिक प्रमाणन कार्यक्रम के तहत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) द्वारा 5,146 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पीजीएस-इंडिया ऑर्गेनिक प्रमाणन कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जिला-वार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

अनुबंध-1

आंध्र प्रदेश में पीजीएस-इंडिया ऑर्गेनिक प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जिला-वार विवरण		
क्र.सं.	जिला	कुल आयोजित प्रशिक्षण
1.	एल्लूरी सीतारामा राजू	160
2	अनकापल्ली	305
3	अनंतपुरामु	19
4	अन्नमय्या	95
5	बापतला	164
6	चित्तूर	161
7	डॉ. बीअम्बेडकर को .आर.न्नासीमा	219
8	पूर्वी गोदावरी	388
9	एल्लुरु	160
10	गुंटूर	316
11	काकीनाडा	122
12	कृष्णा	166
13	कुरनूल	233
14	नांदयाल	146
15	एनटीआर	89
16	पलनाडु	112
17	पार्वतीपुरम मन्यम	184
18	प्रकाशम	301
19	श्रीकाकुलम	248
20	श्री पोटी श्रीरामालु नेल्लोर	712
21	श्री सत्य साई	3
22	तिरुपति	249
23	विशाखापत्तनम	9
24	विजयनगरम	364
25	पश्चिम गोदावरी	55
26	वाई.आर.एस.	166
	कुल	5146